

## उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग-04

संशोधित अधिसूचना

30 जुलाई, 2025 ई0

संख्या-446/XX-4/2025-E-26896-राज्यपाल, शासन की अधिसूचना संख्या-895/XX-4/2024-E-26896, दिनांक 26.12.2024 को अतिक्रमित करते हुये, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम-2008 की धारा-22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर थाना बनभूलपुरा, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल में विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1967 की धारा-15 एवं 16 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग संख्या-21/2024, 22/2024 एवं 23/2024 के विचारण हेतु श्री सुजीत कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, हल्द्वानी नैनीताल को उनके वर्तमान प्रभार के साथ विशेष न्यायालय (Special Court) के न्यायाधीश के रूप में पदाभिहित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,

सचिव।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 04-10-2025, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 35 गृह/459-15-10-2025-50 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)